

प्रारूप-2

भाग-1 (प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना विवरण :- जनपद पिथौरागढ़ में गोगिना सल्ला^{मो. नॉ.} से चिंगरी पन्ना चौड मोटर मार्ग का निर्माण।

1.

- क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव /परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण। :- जनपद पिथौरागढ़ में गोगिना सल्ला^{मो. नॉ.} से चिंगरी पन्ना चौड मोटर मार्ग का निर्माण।
- ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप। संलग्न है।
- ग) परियोजना की लागत। रु0 164.72 लाख
- घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य। एक मात्र नजदीकी समरेखन।
- ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए) लागू नहीं
- च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है। स्थानीय जनता अपनी कृषि उपज स्थानीय बाजार में आवाक कर पायेगी।
2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण: संलग्न है।
3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है
- क) परिवारों की संख्या नहीं।
- ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या नहीं।
- ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए) नहीं।
4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ? (हां/नहीं) हाँ।
5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाये) प्रमाण पत्र संलग्न है।
6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का ब्यौरा। संलग्नानुसार।

दिनांक.....

स्थान....

पिथौरागढ़

प्रयोक्ता एजेन्सी के हस्ताक्षर
नाम मोहर

असम सहायक अभियन्ता
सिद्धि निर्माण विभाग
जनपद-पिथौरागढ़

2

Assistant Engineer
Rural Works Department
Sub-Division-Pithoragarh

Executive Engineer
Rural works Department
Pithoragarh

प्रारूप-3
भाग-2 (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

16. परियोजना का नाम - जनपद पिथौरागढ़ में गोगिना सल्ला से चिंगरी पन्ना चौड मोटर मार्ग का निर्माण।

- (i) राज्य/संघराज्य क्षेत्र - उत्तराखण्ड।
- (ii) जिला - पिथौरागढ़।
- (iii) जिला वन प्रभाग - पिथौरागढ़।
- (iv) पूर्वक्षेप के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र - 0.77 हे० वन भूमि।
17. पूर्वक्षेप के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्रारिथति: - सिविल व वन पंचायत
18. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौरा: - संलग्न है।
- (i) वन का प्रकार - सिविल व वन पंचायत
- (ii) वनस्पति का औसत पूर्ण धनत्व - 2
- (iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना - संलग्न है।
- (iv) पूर्वक्षेप के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा - संलग्न है।
19. भूक्षरण के लिए पूर्वक्षेप हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पण - भूक्षरण की सम्भावना नहीं।
20. वन भूमि की सीमा से पूर्वक्षेप के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी: - 0.00 किमी०।
21. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वक्षेप में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता: - लाए नहीं।
- (i) पूर्वक्षेप के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा: - लाए नहीं।
- (ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अत्रवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए) - नहीं।
- (iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वक्षेप के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए) - नहीं।
- (iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्पन्नवास आदि पूर्वक्षेप के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए) - नहीं।
- (v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियां हैं, यदि हैं तो उसके ब्यौरे - नहीं।
22. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दें) - नहीं।
23. पूर्वक्षेप के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें: - संलग्न है।

(i) क्या भाग- 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है। - ~~हाँ~~ /

(ii) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग किया जा सकता है।

24. किए गए अतिक्रमण के ब्यौरे :

नहीं - 1

(i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हां/नहीं) - ~~हाँ~~ /

(ii) यदि हां, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्बलित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के ब्यौरे और अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विरुद्ध की गई कार्यवाही

(iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हां/नहीं) - ~~हाँ~~ /

25. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे :

(i) क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति। - वर्तमान में राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में। ~~हाँ~~ /

(ii) अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्यौरे दें। ~~हाँ~~ /

(iii) क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमाएं संलग्न है। - ~~हाँ~~ /

(iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न हैं (हां/नहीं)। - ~~हाँ~~ /

(v) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिचय : - ~~संलग्न है~~ /

(vi) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचान किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण-पत्र संलग्न हैं (हां/नहीं)। - ~~हाँ~~ /

26. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित क्रियाकलापों के समाधात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां/नहीं)। - ~~हाँ~~ /

27. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशें

प्रस्ताव संस्तुति सहित
सम्बन्धित प्रस्तावक विभाग द्वारा
हाइपरमार्कर व आरक्षक द्वारा
गई क्षति को क्षतिपूर्ति किया जाएगा।

स्थान: पिकारा 6

तारीख: 12-08-2015

शासकीय मुद्रा

हस्ताक्षर

नाम